

पत्र सं0-अपर आयु0(पुलिस)-पु0बल-कार्यमुक्त आदेश माह नवम्बर- 2023//

372

// राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(पुलिस- कैम्प)

दिनांक:: लखनऊ :: 09 अक्टूबर, 2023

:- कार्यमुक्त आदेश:-

आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या: 443 दिनांक 13-01-2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभाग के अलग-अलग जोनों में तैनात नीचे उल्लिखित नाम के पुलिस कर्मियों की राज्य कर विभाग में नियमानुसार (02) दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित भिन्न-भिन्न तिथियों में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उनके संबंधित पुलिस विभाग के कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र0 सं0	पुलिस कर्मी का नाम / पदनाम	पुलिस मुख्यालय का आदेश संख्या व दिनांक	(02) दो वर्ष प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने वाली तिथि/गहन जनपद	राज्य कर विभाग में आरक्षी की विगत/वर्तमान तैनाती जोन का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार आरक्षी P.N.O- 112403690	डी जी -चार-स्था- 115/2021/150 दि0-25-03-2021	07-11-2023 (दो वर्ष) गाजियाबाद	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) राज्य कर, मेरठ
2	श्री छोटे लाल यादव मुख्य आरक्षी P.N.O- 972370662	डी जी -चार-स्था- 114/2021/149 दि0-25-03-2021	08-11-2023 (दो वर्ष) कानपुरनगर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) राज्य कर, अयोध्या
3	श्री डेविड शर्मा आरक्षी P.N.O- 112431121	डी जी -चार-स्था- 115/2021/150 दि0-25-03-2021	08-11-2023 (दो वर्ष) बुलन्दशहर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) राज्य कर, अलीगढ़
4	श्री सत्यपाल सिंह आरक्षी P.N.O- 112034580	डी जी -चार-स्था- 115/2021/150 दि0-25-03-2021	17-11-2023 (दो वर्ष) हाथरस	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) राज्य कर, झांसी

कृपया संबंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर उक्त कालम-4 में माह नवम्बर-2023 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों को समय से कार्यमुक्त करते हुए कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हेतु अपने जोन से रवाना करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी / सर्वसंबंधित को भी अवगत करायेगे। कार्यमुक्ति दिवस के पश्चात यदि कार्य लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। माह नवम्बर-2023 अथवा इससे पूर्व माहों में यदि आपके जोन से कोई पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त होने से वंचित रह गया है तो आपका यह दायित्व होगा कि आप उस पुलिस कर्मी को चिन्हित कर कार्यमुक्त करते हुए उसके नाम / पदनाम / पी0एन0ओ0 नम्बर की सूचना से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त हो चुके संबंधित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका /जी0पी0एफ0पास बुक / एल0पी0सी0/ अन्य सेवा सम्बंधी अभिलेखों को अद्यावधिक कराकर सीधे उनके संबंधित (नवीन तैनाती स्थान) के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे।

D.C. (I.T)
10/10/2023

7071

uploaded

उल्लिखित पुलिस कर्मियों में से जो आपके जोन से सम्बंधित नहीं हैं तथा अन्य जोन में तैनात हैं, के सम्बंधित तैनाती स्थान के जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर का यह दायित्व होगा कि वह सम्बंधित पुलिस कर्मियों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से ही कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बंधित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगें।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई0 पी0 एस0,

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 4- आयुक्त / वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक जनपद- गाजियाबाद / कानपुरनगर / बुलन्दशहर / हाथरस।
- 5- प्रभारी-प्रतिनियुक्त प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

2/10/23
अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।